PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

निदेशक (मानव संसाधन) कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2640528 email:- ashish_kumar@ptcul.org

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी.एस. दिनांक 04–7–2018

विषयः– आउटसोर्स कार्मिकों को योजित किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/
समस्त अधीक्षण अभियन्ता
पिटकुल।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)/2018-30(12)2018, दिनांक 27.4.2018, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1339/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6, दिनांक 30.6.2018 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त शासनादेश में आउटसोर्स कार्मिकों को रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशानिर्देश दिये गये हैं एवं उसके अनुसार ही आउटसोर्स कार्मिकों को रखा जाना है। निगम मुख्यालय में जोन/मण्डल स्तर से आउटसोर्स कार्मिकों की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संस्तुति प्रेषित की जा चुकी है।

निगम मुख्यालय के संज्ञान में यह भी आया है कि मण्डल एवं जोन स्तर से कुछ अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये अपने स्तर से ही कुछ संविदा कार्मिकों को रखा गया है, जो कि उचित नहीं है। ऐसे योजित कार्मिकों की तैनाती पर निगम मुख्यालय के स्तर से कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं होगी और ना ही उनको वेतन भुगतान नियमानुसार किया जाना उचित होगा।

यह भी प्रकाश में आया है कि कार्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुछ नये आउटसोर्स कार्मिकों को रखे जाने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित अधिकारियों के स्तर से निगम मुख्यालय को प्रेषित किये गये हैं जिनके विषय में अवगत कराना है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि भविष्य में किसी आउटसोर्स कार्मिक को रखा जाना है तो कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनुमति के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यावश्यकता को देखते हुए कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही मण्डल/जोन स्तर से प्रेषित आउटसोर्स कार्मिकों के प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव हो पायेगा। अतः सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही ऐसे आउटसोर्स कार्मिकों को नियोजित किया जाये। इस हेतु संबंधित अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक 184/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी.एस. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परियोजना)/(वित्त)/(परि0 एवं अनु0), पिटकुल, देहरादून।
2. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0 एवं प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)